तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जो इस की तामील में जारी हु
09.01.18	अपीलान्ट अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर धौलपुर से टिप्पणी प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया जावें। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि, अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना श्रम विभाग धौलपुर से सम्बन्धित थी। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र उनके द्वारा श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर को स्थानान्तरित किया जाकर प्रति अपीलान्ट को दी गई। अपीलान्ट द्वारा श्रम कल्याण अधिकारी धौलपुर को पक्षकार नही बनाया गया है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत पंजीयन करने तथा स्मार्ट कार्ड के रूप में परिचय पत्र देने का कार्य इस कार्यालय में संधारित नही है। जिले में श्रम विभाग कार्यालय संचालित है, जिसमें श्रमिको के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं संचालित है। यह सूचना श्रम विभाग से संबधित है। श्रम कल्याण अधिकारी ने अपने पत्रांक 1042 दिनांक 22.11.2017 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना के लिए 12423 प्रतियों के 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से 24846/– रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया है, लेकिन अपीलान्ट ने सूचना के लिए राशि जमा कराने की बजाय प्रथम अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एंव लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी के अवलोकन पश्चात् हम लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी से सहमत है। अपीलान्ट श्रम कल्याण अधिकारी के समक्ष उनकी मांग अनुसार राशि जमा कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु अथवा सक्षम अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। इस न्यायालय से अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को सूचनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर धौलपुर	